सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उत्तराखण्ड–03 / 2020–21 दिनांकः– 14.12.2020

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषयः– **सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेशंन का दिनांक 01.01.2016 से 31.10.2018 तक के एरियर के भुगतान के संबंध में।**

संदर्भः–
1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त पत्रांक पी.ए. / पेंशन / मंहगाई राहत / उत्तराखण्ड / 2020–21 / 1397 दिनांक 29.09.2020
2. सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–10, संख्या 383/2019/XXVII(10)/27(08) / 2017 दिनांक 10.12.2019

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त शासनादेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.agmp.nic.in** पर उपलब्ध है।

14-12-2020

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उत्तराखण्ड–03 / 2020–21 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून–248195 के पत्र दिनांक 29.09.2020 के संबंध में सूचनार्थ।

-sd/-

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

Address : **Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002**
Phone : **0751-2323968**
Fax : **0751-2432194**

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर – 474002
दूरभाष : 0751–2323968
फैक्स : 0751–2432194

SP-839941386

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

005896

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 20-22/1397

दिनांक- 29-9-20

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

PA

DA-SS 15-10-2020

कार्या.महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ...
पंजीकृत डाक
13 OCT 2020
महालेखाकार

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0)उत्तराखण्ड,देहरादून
(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून–248195)

फोन नं0: 0135–2970866,297086, फैक्स नं0:0135–2970859,

" विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र "

पत्रांक: पी0ए0/पेंशन/2020–21 1397 दिनांक: 29-9-20

सेवा

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (;ले. एवं ह.) कार्यालय

विषय- सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01/01/2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01/01/2016 से 31/10/2018 तक के एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में ।

संलग्न संदर्भ:- (1) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुमान. 10 संख्या. 383/2019/xxvii (10)/27(08)/2017 दिनांक. 10/12/2019

महोदय

वित्त अनुभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं | आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं |

सलंग्नक – यथोपरि ।

भवदीय

25/09/20

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

(10) (22)

संख्या : 333 / 2019 / xxvii(10) / 27(08)/201

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3—समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—10 देहरादून : दिनांक:10 दिसम्बर, 2019

विषयः—सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01—01—2016 से पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से 31.10.2018 तक के एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या—38 / 37 / 2016 P&PW दिनांक 12.05.2017 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या—205 / XXVII(10) / 2018—27(8) 2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 01.11.2018 से अनुमन्य किया गया है।

2— शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के प्रस्तर—6 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.11.2018 के स्थान पर दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का लाभ वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3— उक्तानुसार अवशेष धनराशि का भुगतान दो समान किश्तों में वित्तीय वर्ष 2020—21 व वित्तीय वर्ष 2021—22 में किया जायेगा।

4— उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

DR-19
2-9-20

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।